INDIA TEN RUPEES

INDIA TEN RUPEES

(5)

न्यायालय :-- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /201 विविध

I/विविध/जबलपुर/भू०रा०/2018/0835

1. देवलाल
2. जगत सिंह
3. रामअवतार

पुत्रगण देवी सिंह गौड़

निवासीगण ग्राम घोड़ाटाकन तह. कुण्डम जिला जबलपुर म.प्र.

--- आवेदकगण

श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान एड. 01/02/2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. मो. हमराब पुत्र मो. सोराब निवासी 203 दत्ता एण्ड चड्डा इन्क्लेव, साउथ सिविल लाइन जबलपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर

--- अनावेदकगण

सत्येन्द्र सिंह चौहान एड. 01/02/18

प्रार्थना पत्र वास्ते संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत समय सीमा बढ़ाये जाने बावत्।

प्राप्त 01/2/18
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि, आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम घोड़ाटाकन पटवारी हल्का न. 16/40 राजस्व निरीक्षक मण्डल कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि सर्वे क. 56 रकवा 0.44 हे., सर्वे क. 75 रकवा 0.22 हे., सर्वे क. 78 रकवा 0.47 हे. एवं सर्वे क. 81 रकवा 1.42 हे.

(3)

XXVIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / विविध / जबलपुर / भू0रा0 / 2018 / 835 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.02.18	उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्र0क0 2279–एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 22–7–16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति तत्कालीन सदस्य द्वारा दी गई थी तथा शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय भूमि के क्रय–विक्रय के पंजीयन हेतु दिया गया था । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि केता द्वारा धनराशि की व्यवस्था न कर पाने के कारण एवं अन्य कारणों से समयावधि में विक्रयपत्र का निष्पादन केता के पक्ष में वे नहीं करा सके हैं । उनके द्वारा तीन माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिए जाने का निवेदन किया । शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है अतः विचारोपरांत आज दिनांक से दो माह का समय आवेदक को विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया जाता है । यदि उक्त अवधि में भी विक्रयपत्र का निष्पादन आवेदकों के द्वारा विकेता के पक्ष में नहीं कराया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति समाप्त मानी जायेगी । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	